

जल स्रोतों की दूसरी गणना की प्रक्रिया शुरू, गिने जाएंगे झरने भी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्राकृतिक और मानव निर्मित सभी तरह के जल स्रोतों की दूसरी गणना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले साल पहली गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, जिसके आधार पर यह पता चला था कि देश में नदियों, नहरों के साथ ही कितने तालाब, पोखर, झील आदि हैं। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, इस बार सभी जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट दो साल के भीतर आने की उम्मीद है। पिछली बार इसमें चार साल से अधिक का समय लगा था।

इस बार की गणना में जल स्रोतों के रूप में झरनों को भी शामिल

- जलशक्ति
मंत्रालय ने राज्यों के साथ शुरू की गणना प्रक्रिया
- पिछली गणना में 40 हजार जलाशयों में मिला था अतिक्रमण



सरकारी, निजी व सामुदायिक पहल से पुराने जल स्रोत हो रहे जीवित : सीएसई राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली : सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में सामने आया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित जलाशयों में बदलाव आ रहा है। प्रदूषित, अतिक्रमणग्रस्त या सूख घुके जलाशय सरकारी योजनाओं, निजी और सामुदायिक पहल की बदौलत पुनर्जीवित हो रहे हैं। निष्कर्षों को 'बैंक फ्राम द ब्रिंक' : रिजुवेनेटिंग इंडियाज

किया जाएगा। इस सिलसिले में राज्यों के साथ पहला मसौदा साझा किया गया है, जिसमें जल स्रोतों की गणना के तौर-तरीकों का विस्तृत लेखा-जोखा है। मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, इस बार की गणना में जल संपदा की पूरी

तस्वीर से वाकिफ हो सकेंगे। पिछली गणना का एक बड़ा निष्कर्ष अवैध कब्जे और अतिक्रमण के शिकार जल स्रोतों की संख्या सामने आना था। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में कुल 24,24,540 जलाशयों में से लगभग 40 हजार अतिक्रमण

के शिकार हैं। शहरों में लगभग ढाई प्रतिशत जल स्रोतों इसकी जद में हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से आग्रह किया था कि वे जलाशयों पर अवैध कब्जे हटाने की पहल करें। जो जल स्रोत अतिक्रमण के शिकार हैं, उनमें दो तिहाई से ज्यादा पर पूरी तरह अवैध

कब्जा कर लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार, जल स्रोतों की गणना का उद्देश्य एक राष्ट्रीय डाटा बेस बनाना है, जिसमें इनके आकार, स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, इस्तेमाल, स्टोरेज क्षमता जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया जा सके।